न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2019

1. श्रीमति प्रेमदेवी पत्नि श्री मदनलाल
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री मदनलाल
3. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मदनलाल
4. टीकमचंद पुत्र श्री मदनलाल

समस्त जाति तेली निवासीगण केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थीगण

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—अप्रार्थी

वादपत्र अंतर्गत धारा 128 राज0भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित::– श्री सूर्यकान्त दाधीच वकील– प्रार्थीगण
तहसीलदार केकडी–पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 12.02.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी की जमाबंदी संवत् 2069–72 की निम्नवर्णित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की है::–

खाता संख्या नया– पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1347 1244	228	0.95 है0	बा.2

यह कि उक्त भूमि की मूल खातेदार मदनलाल पि0 नंदा कौम तेली निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर थी,जरिये ना0संख्या 909 दिनांक 02.12.15 से जरिये विरासत मृतक मदन पुत्र नंदा के स्थान पर प्रेमदेवी पत्नि मदनलाल,राजेन्द प्रसाद,महेन्द्र कुमार,टीकमचंद पुत्र मदनलाल कौम तेली सा0देह दर्ज है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे चली आ रही है व प्रार्थीगण इस आराजी से पैदावार प्राप्त करते चले आ रहे है व इस आराजी पर प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी का हक व हिस्सा नहीं है। यह आराजी का प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान दिनांक 28.06.2019 को करवायी परन्तु प्रार्थीगण की आराजी के पड़ौसी आये दिन सीमा चिन्हो को हटा देते है व प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण करने की चेष्टा करते रहते है जिससे मौके पर आपस मे विवाद होता है व सीमा ज्ञान को नहीं मानते है। प्रार्थीगण उक्त आराजी के बाबत् सीमा का विवाद समाप्त करने के लिए आराजी की नियमानुसार अप्रार्थी से मौके पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है जिससे आराजी की सीमा के बाबत् सदैव के लिए विवाद समाप्त हो जाये व प्रार्थीगण की आराजी पर अतिक्रमण नहीं कर सके, जिस हेतु अप्रार्थी को आदेश को आदेश दिया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। अतः अप्रार्थी को पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावे।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तहसीलदार केकड़ी ने उनके पत्र क्रमांक /भू0अ0/2019/8187 दिनांक 10.12.19 से जवाब दावा प्रस्तुत किया है। जवाब दावा के

दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.06.19 के पटवारी हल्का से सीमा जानकारी प्राप्त की गई,किन्तु मौका पर्चा व मौका अनुसार मूल खसरा नंबर 228 के उत्तर के खसरा नंबर 229 के खातेदारान से सीमा विवाद है। खसरा नंबर 229 भंवरलाल,गोपाल पिता रामदेव कौम तेली के नाम दर्ज है। गौपाल फौत हो चुका है,गोपाल के वारिसान शंभुदेवी पत्नि गोपाल,भागचंद,कन्हैयालाल,अनुराधा पिता गोपाल, व भंवरलाल पि0 रामदेव आदि पड़ौसी को सुना जाना उचित है। खसरा नंबर 230 के पड़ौसी भंवरलाल पि0 नंदा तेली व अन्य पड़ौसी गजानंद पि0रामदेव, सुखलाल पि0 रामदयाल जाट को सुना जाना उचित बताया है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जवाब सरकार का अध्यनन किया। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार को सुना गया।प्रार्थीगण आराजी खसरा नंबर 228 रकबा 0.95 है0 के खातेदार काश्तकार है तथा खातेदार काश्तकार को स्वयं की खुदकाश्त की आराजीयात की पत्थरगढ़ी करवाने के हक अधिकार है। अतः आप कस्बा केकड़ी की प्रार्थनापत्र मे वर्णित आराजीयात खसरा नंबर 228 रकबा 0.95 है0 की नियमानुसार प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी, शुल्क जमा करवाने पर अनुभवी राजस्व कार्मिक गिरदावर/पटवारी की टीम गठित कर पड़ौसी खातेदारो को सूचित करते हुए करे। प्रार्थना पत्र का खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2020.02.28 17:27:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: